

पटना में दिनांक-20 नवम्बर, 2018 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

**शिक्षा विभाग**

2. राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.08.2014 से चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह रू० 200/- (दो सौ) मात्र स्वीकृत करने के संबंध में।

2. स्वीकृत।

**सामान्य प्रशासन विभाग**

4. बिहार राज्य में जुबेनाईल जस्टिस एक्ट, 2015 के अन्तर्गत जुबेनाईल जस्टिस से जुड़े मामलों के पर्यवेक्षण एवं इसे प्रभावी रूप से लागू करने हेतु अपर निबंधक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) कोटि के 01 (एक) एवं रिसर्च ऑफिसर, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोटि के 01 (एक) कुल 02 (दो) पद का 30,22,483/-रूपये (तीस लाख बाईस हजार चार सौ तेरासी रूपये) मात्र के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति।

4. स्वीकृत।